A 3/10

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	वादी पत्रावली वास्ते [illegible] दि० 30-3-16 को पेश हो।	
30-3-16	पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] [illegible] पत्रावली का अवलोकन किया [illegible] मनन किया। वादी [illegible] [illegible] प्रतिवादी [illegible] 192 को [illegible] दर्ज के [illegible] 1314, 1315, 1316, 1318 जो कि वादी के खातेदारी के दर्ज है के किसी प्रकार की दखलअंदाजी करने से जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है [illegible] [illegible] [illegible] अंतिम निस्तारण तक [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible] तारीख [illegible] पर हो।	
	सहायक कलक्टर (मु.) [illegible]	

A 7/1

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर

बइजलास–ए.एच.गौरी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 50/2005

श्रीमति शान्ति धर्मपत्नि श्री जवंरीलाल जाति ब्राहमण निवासी रूण नागौर वादी

बनाम

1. मनरूपराम पुत्र नृसिंहराम जाति मेघवाल निवासी भटनोखा नागौर
2. सुखराम पुत्र नृसिंहराम जाति मेघवाल निवासी भटनोखा नागौर
3. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, नागौर प्रतिवादीगण

उपस्थितिः–

1. श्री रामकिशोर मुण्डेल एडवोकेट वादी
1. राजपैरोकार प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थाई व्यादेश अधीन धारा 188 राज. टिनेन्सी एक्ट

निर्णय दिनांक :– 30-3-16

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद बाबत स्थाई व्यादेश अधीन धारा 188 राज. टिनेन्सी एक्ट का पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। राजस्व वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः–

वादी के कब्जा काश्त व खातेदारी के खेताय हाल खसरा नम्बर 1314 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 1315 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 1316 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 1318 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 1330 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 1451 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 1455 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा एंव खसरा नम्बर 3498/1419 रकबा 4 बीघा सरहद मौजा रूण तहसील नागौर में रहते चले आये है।

वादी ने उक्त खेताय देवीलाल पुत्र रावता ब्राहमण निवासी रूण ग्राम से दिनांक 26.06.1989 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया एंव प्रतिफल की राशि रूपये 42,000/– अक्षरे बंयालिस हजार रूपये मात्र देवीलाल को अदा कर खातेदारी हक हकूक व कब्जा प्राप्त किया, इस तरह उक्त तमाम खेताय की एक मात्र खातेदारी वादी अकेली रहती चली आयी है, जिस पर अन्य किसी व्यक्ति अथवा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का कोई हक स्वामित्व कभी नही रहा था व न है।

वादी ने उक्त तमाम क्रय सुदा खेताय के खातेदारी देवीलाल ब्राहमण से पूर्व में भी उसके पूर्वज रावत पुत्र बिडदा, कालू पुत्र नाथू एंव धूला वल्द जीया जाति ब्राहमण साकिन रूण के कब्जा काश्त व खातेदारी हक हकूकों के कब्जा स्वामित्व में रहे।

वादी के कब्जा काश्त व खातेदारी के खेताय हाल खसरा नम्बर 1314, 1315, 1316, 1318 मौजा पर वादी का सन् 1989 से लगातार कब्जा काश्त करसण रहा, मगर

सहायक कलक्टर (मु.) नागौर

A 2/2

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जून 2003 में नाजायज रूप से उक्त चारो खसरा नम्बरान पर हक जता कर कब्जा छीनने की कोशिश की, तब वादी ने दिनांक 25.02.2003 व 13.06.2003 को प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष भू–माप व सीमाज्ञान का आवेदन किया, जिस पर भू–निरीक्षक खजवाना ने पटवारी हल्का व पुलिस इमदाद के सहयोग से दिनांक 28.07.2003 को माप कर कब्जा व सीमाज्ञान की मौका रिपोर्ट खसरा नम्बर 1314, 1315, 1316, 1318 मौजा रूण की तैयार कर मौतबिरान के फर्द बनायी। इस प्रकार प्रतिवादीगण का वादी के उक्त चारो खसरा नम्बर पर कोई हक स्वामित्व भी नही रहा।

दिनांक 04.07.2005 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने पुनः वादी के खातेदारी के खेताय खसरा नम्बर 1314, 1315, 1316, 1318 मौजा रूण पर पुनः हक जताने की गर्ज से वादी के खेत खसरा नम्बर 1314 में हक निकाल कर व खसरा नम्बर 1315 में सूड कर कब्जा छीनने की कोशिश की तब वादी ने उनको ऐसा करने से मना किया, तब प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने अपना नाजायज कृत्य का त्याग कर भाग गये, जिससे वादी को अपने खातेदारी हको पर कुठाराघात होने से प्रतिवादीगण के नाजायज कृत्य व हरकतो से खतरा पैदा होने लग गया एंव टन्टा फिसाद कर झगडा करने की सम्भावना होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी व्यादेश का यह वाद पेश करना लाजिमी हो गया है।

प्रतिवादीगण अनूसचित जाति के होने से वादी को तंग व परेशान कर जबरन कब्जा छीनने व फसल अंवेरने पर धमकियां देकर आमादा होने से प्रतिवादीगण को वादी के कब्जा काश्त करसण करने, अंवेरने व खातेदारी हक हकूको में दखल करने व कराने से रोका जाने के लिये यह वाद पेश किया जा रहा है।

प्रतिवादी संख्या 3 राज्य सरकार के प्रतिनिधि होने से उनके वैध प्रतिनिधि व अधीनस्थ कर्मचारी के जरिये प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादी के कब्जा में दखल करने व कराने से रोकने के लिये प्रतिवादी संख्या 3 को पक्षकार बनाया जाकर यह वाद पेश किया जा रहा है।

बिनायदावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के मुतदाविया खेताय में प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 द्वारा वर्ष 2003 में दखल करने व इस वर्ष भी दिनांक 04.07.2005 को वादी के खेताय खसरा नम्बर 1314, 1315 में आकर दखल व दस्तांदाजी करने व कराने के नाजायज कृत्य से वादी के हको पर कुठाराघात होने से यह वाद स्थायी व्यादेश करने का वाद कारण ग्राम रूण में पैदा हुआ।

इस्तदुआ वादी है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के निम्न आशय की सादिर फरमाई जावें–

(क) वादी के खातेदारी के खेताय हाल खसरा नम्बर 1314, 1315, 1316, 1318 मौजा रूण में प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 के द्वारा दखल व दस्तांजी करने व कराने से रोका जावे एंव वादी के कब्जा काश्त करसण करने व कराने में प्रतिवादीगण को व्यावधान पैदा नहीं करने हेतु सदा के लिये पाबन्द किया जाने की आज्ञा पारित की जावें।

(ख) अन्य अनुतोष जो भी लाभार्थ वादी हो वो अता फरमाई जावें एंव खर्चा वाद वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

वादी के वाद का प्रतिवादीगण की ओर से निम्नलिखित जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है–

वाद के अनुच्छेद संख्या एक के तथ्य गलत होने से अस्वीकार है यह गलत है कि हाल खसरां नम्बर 1314 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 1315 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 1316 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा भूमि वाके मौजा रूण वादीनी के खातेदारी कब्जे की भूमि रही हो अपितु खसरा संख्या 1314 प्रतिवादी मनरूप तथा खसरा संख्या 1315 व 1316 की भूमि प्रतिवादी सुखराम के खातेदारी कब्जे की भूमि रहती रही है खतौनी में इन तीनों खसरों की भूमि गलत रूप से वादी के खातेदारी में दर्ज हो रखी है।

वाद के अनुच्छेद संख्या दो के तथ्य गलत होने से अस्वीकार है यह गलत है कि देवीलाल पुत्र रावताराम ब्राहमण निवासी रूण ने खसरा संख्या 1314, 1315 व 1316 की भूमि का बेचान वादीनी को किया हो अपितु ये तीनों खसरें कभी भी देवीलाल के खातेदारी कब्जे के नहीं रहे थे और उसे इस बात की जानकारी थी इसलिए प्रथमतः उसने इन तीनों खसरों का बेचान किया ही नहीं और यदि गलत तव्वजह दिलवा कर या धोखे से वादीनी ने इन तीनों खसरो का बेचाननामा लिखवा भी लिया तो उस मात्र से वादी को इन तीन खसरों की भूमि पर किसी प्रकार का हक अधिकार खातेदारी प्राप्त नहीं हो सकते। देवीलाल को कानूनन इन तीनों खसरों की भूमि के बेचने का किसी प्रकार का अधिकार नहीं था इसलिए वादीनी द्वारा अपने हक में करवाया गया बेचान अवैध व शून्य है। यह गलत है कि इन तीन खसरों का कब्जा वादी का कभी रहा हो। देवीलाल या उसके पूर्वजों का भी कब्जा इन तीनों खसरों पर कभी नही रहा और ये तीन खसरे उसके खातेदारी में राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत रूप से दर्ज कर दिये गये थे जिस तथ्य को देवीलाल ने दो अलग–अलग लिखतों के द्वारा स्वीकार किया था। ये तीनों खेताय प्रतिवादीगण के खातेदारी कब्जे के खेताय है।

वाद के अनुच्छेद संख्या तीन के तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। यह गलत है खसरा संख्या 1314, 1315 व 1316 की भूमि देवीलाल या उसके पूर्वजों रावत, कालू, धूला के खातेदारी कया कब्जे की भूमि रही हो। गलत रूप से खातेदारी में दर्ज हो जाने मात्र से किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते यदि खतौनियों में ऐसा गलत इन्द्राज हो रखा है तो वह गलत है।

वाद के अनुच्छेद संख्या 4 के तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। यह गलत है कि वादीनी का कब्जा खसरा संख्या 1314, 1315 व 1316 की भूमि पर सन् 1989 से कब्जा काश्त रहा हो और यह भी गलत है कि जून 2003 में प्रतिवादीगण ने कब्जा छीनने की कोशिश की हो। वादीनी का खसरा संख्या 1314, 1315 व 1316 पर कभी कब्जा रहा ही नहीं और प्रतिवादीगण का सम्वत् 2010 से पहले कब्जा चला जाने के कारण इन तीनों खसरों का कब्जा छीनने की कोशिश का प्रश्न ही नहीं उठता अपितु कब्जा तो 2010 से पहले से लेकर आज दिन तक प्रतिवादीगण का कब्जा रहता चला आ रहा है। यह गलत है कि दिनांक 28.07.2003 को भू निरीक्षक खजवाना ने पटवारी हल्का व पुलिस इमदाद के सहयोग से इन तीन खसरों की भूमि का नाम कर कब्जा व

A2/4

सीमाज्ञान की मौका रिपोर्ट मौतवरान के रूबरू बनाई हो। भू निरीक्षक व पटवारी हल्का या अन्य कोई नाप चौक के लिए कभी मौके पर नहीं आये। वादीनी ने यदि आर.आई. पटवारी व अन्य कर्मचारियों व लोगो से मिलावट कर किसी प्रकार की फर्जी, झूठी व मिथ्या रिपोर्ट तैयार कराई है तो उसका कोई फायदा वादी को नहीं मिल सकता है। खसरा संख्या 1314 पर प्रतिवादी मनरूप व खसरा संख्या 1315, 1316 पर प्रतिवादी सुखराम का आज दिन भी कब्जा खातेदारी मौके पर बिना किसी बाधा व विघन के चली आ रही है। ऐसी गलत व फर्जी तथा प्रतिवादीगण के पीठ पीछे तैयार की गई रिपोर्ट प्रतिवादीगण पर बाध्यकारी नहीं है। इन तीनों खसरों की भूमि पर प्रतिवादीगण की खातेदारी कब्जा है। वाद के अनुच्छेद संख्या 5 के तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रतिवादीगण ने खसरा संख्या 1314, 1315 व 1316 ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष 2005 में भी सूड व काश्त की है। यह गलत है कि वादी ने कोई धमकी दी हो और प्रतिवादीगण कब्जा छोडकर भाग गये हो प्रतिवादीगण अपनी--अपनी इस भूमि पर आज दिन भी काबिज है। वादीनी ने यह वाद बिल्कुल झूठे व मनगढत आधारों पर किया है। वाद के अनुच्छेद संख्या 6 के तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। वादी का खसरा संख्या 1314, 1315 व 1316 की भूमि या उसके किसी भी हिस्से पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा न आज दिन है इसलिए वादी स्थायी निषेधाज्ञा का वाद लाने का अधिकारी नहीं है। दावा झूठा व गलत पेश किया है। वाद के अनुच्छेद संख्या 7 के तथ्य गलत है अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 3 को जैसा वादी ने बताया है वैसा कोई अधिकार नहीं है। वादी को किसी प्रकार का वाद हेतुक वर्ष 2003 में या 04.07.2005 को पैदा नहीं हुआ। वाद के अनुच्छेद संख्या 8 के तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। अनुच्छेद संख्या 9 व 10 के तथ्य अदालत के गौर के है। अनुच्छेद संख्या 11 गलत है अस्वीकार है वादी इस अनुच्छेद में बताया गया किसी प्रकार का अनुतोष न्यायालय से प्राप्त नहीं कर सकती।

अतिरिक्त कथन :– ग्राम रूण के वर्तमान खसरा संख्या 1314, 1315 व 1316 की भूमि प्रतिवादीगण के पिता नृसिंहराम के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि सम्वत 2010 से पहले से रहती चली आ रही है। चूंकि प्रतिवादीगण अनुसूचित जाति के अनपढ शोषित व गरीब लोग रहे है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट लागू हुआ तब तथा उसके पहले व बाद में लगातार आज दिन तक इन तीनों खसरों की भूमि पर प्रतिवादीगण व उनके भाई रूपाराम व उसके पिता नरसिंहराम का कब्जा काश्त रहा है और कानून अनुसार वे ही खातेदार हुए मगर राजस्व कर्मचारियों की गलती से इन तीनों खसरों की भूमि की खातेदारी का इन्द्राज नरसिंहराम व उनके लडको के नाम करने के बजाय राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से व बिना अधिकार के देवीलाल व उसके पिता वगैरा के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई। प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में भूमि दर्ज नहीं होने मात्र से प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं हुए है और न गलत इन्द्राजी से देवीलाल, रावतराम, शांति या अन्य किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो सकते है। खसरा संख्या 1314, 1315 व 1316 की भूमि पर प्रतिवादीगण व उनके पिता व भाई का कदीम से संवत् 2010 से पहले से कब्जा चला आता रहा है। रावतराम, कालू, धूला या

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

देवीलाल का कभी भी इन तीन खसरों की भूमि पर कब्जा काश्त खातेदारी नहीं रही है। समय के साथ प्रतिवादीगण मनरूपराम, सुखाराम व तीसरे भाई रूपला ने आपसी सहमति से अलग–अलग काश्त करना शुरू कर दिया। खसरा संख्या 1315 को रूपला काश्त करने लग गया और खसरा संख्या 1314 व 1316 को प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काश्त करने लगे। देवीलाल पुत्र रावतराम जिससे ये खेत वादीनी खरीद करना बताती है ने सन् 1979 में उपरोक्त तीनों खसरों की लिखत लिख कर दी। खसरा संख्या 1315 के संबंध में एक लिखित प्रतिवादीगण के भाई रूपला के हक में लिख कर दी थी और खसरा संख्या 1314 व 1316 की संयुक्त लिखत प्रतिवादीगण के हक में लिख कर दी। उसने उन लिखतों में स्वीकार किया था कि यह भूमि उसके पट्टे में गलती से आई हुई है व भूमि प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण के भाई रूपला की मानी थी। तीनों खसरों का रकबा लगभग बराबर था तथा अनपढ होने से रूपला के कब्जे का खसरा संख्या क्या था व प्रतिवादीगण के कब्जे में कौन से खसरे थे पूरा ध्यान नहीं हो पाने के कारण खसरे की जगह खाली छोड दी गई थी मगर रकबा अन्दाज में लिख दिया गया था। रूपला के पक्ष में लिखि लिखत तो आज दिन भी प्रतिवादीगण के पास सुरक्षित है जो साथ में पेश की जा रही है। दुसरी लिखत अभी ढूंढने पर भी मिल नहीं पा रही है मिलने पर पेश की जायेगी। इस प्रकार जब इन तीनों खसरों की भूमि कभी देवीलाल की रही ही नही तो देवीलाल को भूमि बेचने का अधिकार ही नहीं था और ऐसे अवैध व शून्य बेचान से वादीनी को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। प्रतिवादीगण के भाई रूपला कवारा लाऔलाद फौत हो गया। रूपला के मरने के बाद प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से अलग–अलग काश्त करना शुरू किया और उस अनुसार खसरा संख्या 1314 प्रतिवादी मनरूप राम काश्त करता है तथा खसरा संख्या 1315 व 1316 को प्रतिवादी सुखराम काश्त करता है खसरा संख्या 1314 में गत वर्ष प्रतिवादी मनरूप ने बाजरी की काश्त की थी और उस फसल को हमेशा की भांति गत वर्ष भी रूपाराम ने अवेर ली। मनरूपाराम के दो कमरे भाटो के खसरा संख्या 1314 में बनाये हुए है जिनमें प्रतिवादी वर्षो से मय परिवार निवास कर रहा है। मनरूप का एवाडा भी इसी खेत में बनाया हुआ है जिसमें प्रतिवादी अपनी बकरियां, भेडे बांधता है। मनरूप का टांका भी इसमें खुदाया हुआ है। इसी प्रकार खसरा संख्या 1315 व 1316 में प्रतिवादी सुखराम की फसल बोई हुई थी तथा उसकी छान रसोई व चोकौर बनाई हुई है और इसी में सुखराम मय परिवार रहता है। वादी का या देवीलाल, रावतराम वगैरा किसी का कभी भी वादग्रस्त खसरा संख्या 1313, 1315 व 1316 की भूमि पर कब्जा नहीं रहा है। वादी को भी सन् 1989 से ही इस बात की जानकारी है कि कब्जा प्रतिवादीगण का वादग्रस्त उपरोक्त तीनों खसरों की भूमि पर चला आ रहा है। वादी को या देवीलाल को कभी भी वादग्रस्त इन तीन खसरों की भूमि का कब्जा नहीं मिला जबकि प्रतिवादीगण का कब्जा कदीम से लगातार बिना किसी रोक टोक के निरन्तर पिछले 55 सालों से भी अधिक समय से चला आ रहा है इस प्रकार यदि वादी या देवीलाल अथवा रावतराम के किसी प्रकार के हक हकूक थे भी तो वे सभी खातेदारी अधिकार वगैरा व कब्जा छुडाने के अधिकार समाप्त हो गये है। वादी का कब्जा इन तीन खसरा संख्या 1314, 1315, 1316

सहायक कर्मचारी (मु.)

पर वाद से पहले वाद के रोज व वाद के बाद कभी भी नहीं रहने से वादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का वाद मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

तनकीयात निम्नानुसार कायम की गई –

1. आया वादगत खसरा नम्बर 1314, 1315, 1316 , 1318 मौजा रूण वादी की खातेदारी भूमि है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को दखलन्दाजी करने का अधिकार नहीं होने से उनके विरूद्ध चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के वादीया अधिकारी है। (जिम्मे वादी)
2. आया वादगत खसरा नम्बर 1314. 1315, 1316 प्रतिवादीगण के पिता के संवत् 2010 से पहले काबिज काश्त होने के कारण वादीया चिर निषेधाज्ञा का अनुतोष पाने की अधिकारी नहीं है। (जिम्मे प्रतिवादीगण)
3. अनुतोष

साक्ष्य के रूप में वादीनी शांति ने शपथ पत्र अधीन आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि जमाबंदी की नकल सम्वत् 2055–58 ग्राम रूण की प्रदर्श–1 है। प्रतिवादी के खेतो की नकल प्रदर्श–2 है। स्वयं के खेतों का नक्शा ट्रेस प्रदर्श–3 है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2035–38 प्रदर्श–4 है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2015–18 प्रदर्श–5 है। स्वंय के खरीदे गये खेत का विक्रय पत्र दिनांक 26.06.1989 प्रदर्श–6 है। सीमाज्ञान का आवेदन प्रदर्श–7 व प्रारूप प्रदर्श–8 व मौका रिपोर्ट प्रदर्श–9 है। जिस पर वकील प्रतिवादी द्वारा जिरह की गई। गवाह रामविलास पुत्र लाखाराम, श्रवणराम पुत्र केशाराम ने शपथ पत्र अधीन आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का पेश किया। जिस पर वकील प्रतिवादी द्वारा जिरह की गई।

प्रतिवादीगण वकील द्वारा प्रतिवादी साक्ष्य पेश नहीं कर नो इस्ट्रक्शन प्लीड किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को आवाज लगाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अनुपस्थित।

वादी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। बहस के दौरान वादी अधिवक्ता ने कथन किया कि दस्तावेज, रेकर्ड, साक्ष्य, शपथ पत्र व गवाहों के बयानों के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादी के खातेदारी खेत में दखलन्दाजी करने व कराने से रोका जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वादीया ने यह वाद ग्राम रूण के खसरा नम्बर 1314 की 3.13 बीघा, खसरा नम्बर 1315 की 3.5 बीघा, खसरा नम्बर 1316 की 2.13 बीघा, खसरा नम्बर 1318 की 4.11 बीघा खातेदारी भूमि है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाजायज अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे है। जिसमें प्रतिवादीगण को जरिये चिर निषेधाज्ञा पाबंद करवाने हेतु प्रस्तुत किया है। जो वाद के समर्थन में प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत् 2055 से 58 के अनुसार वादीया उक्त खसरा नम्बरान की खातेदार काश्तकार है।

A 7

प्रतिवादी की ओर से खसरा नम्बर 1314, 1315, 1316 की भूमि को अपने पिता के कब्जे काश्त की भूमि होने तथा सवंत् 2010 से अपनी भूमि होने के आधार पर वादी का वाद खारिज करने का अधिकारी है परन्तु अपने कथन को साबित करने हेतु कोई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किये है। वादीया ने अपने बयान किये जिस पर प्रतिवादी की ओर से जिरह की गई। वादीया की ओर से गवाह रामविलास, श्रवणराम प्रस्तुत हुए। प्रतिवादी के साक्ष्य के दौरान प्रतिवादी के अधिवक्ता ने नोइन्ट्रंक्शन होना बताया। ऐसी सुरत मे प्रतिवादी को आवाज लगाई गई। प्रतिवादीगण की ओर से कोई भी उपस्थित नही उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीया स्वीकार करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को ग्राम रूण के खसरा नम्बर 1314, 1315, 1316, 1318 जो की वादी के खातेदारी में दर्ज है में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 30-3-16 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(ए. एच. गौरी)
आर.ए.एस
सहायक कलेक्टर (मु.) नागौर